दिनांक 04.12.2012 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में सम्पन्न समाज कल्याण से संबंधित बैठक की कार्यवाही :–

1– उपस्थिति पंजी में संधारित है।

कार्यवाही

2– सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इस जिलान्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में सेविका/सहायिका की रिक्ति से संबंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त की गई। बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा रिक्ति की स्थिति निम्नवत बताया गया :–

क्र0	परियोजना का नाम	रिक्ति	
		सेविका	सहायिका
1	चतरा ग्रामीण	02	01
2	सिमरिया	01	01
3	टण्डवा	0	01
4	ईटखोरी	01	02
5	हण्टरगंज	06	04
6	प्रतापपुर	05	05
	कुल–	15	14

रिक्ति पर नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्ट किया गया कि पिछले माह भी रिक्ति की यही स्थिति थी। स्पष्टतः इस पर किसी के द्वारा अभिरूचि नही ली जा रही है तथा केन्द्र को प्रभार में चलाने की परम्परा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो सर्वथा गलत है। यह भी बताया गया कि जब कोई सेविका स्वंय का केन्द्र सुचारू रूप से नही चलाती है तो वह दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र को अपने केन्द्र के अतिरिक्त कैसे चला सकती है। इससे दोनो केन्द्रो में अनियमितता स्वभाविक है। किसी भी परिस्थिति मे कोई भी केन्द्र प्रभार पर नही चलना चाहिए। इस संबंध में विभाग से पत्राचार करने का निदेश दिया गया तथा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में इस माह के अन्त तक रिक्तियो के विरूद्ध आम–सभा के माध्यम से सेविका/सहायिका का चयन कर अनुमोदन का प्रस्ताव जिला समाज कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि रिक्ति शून्य हो।

सेविका/सहायिका की रिक्ति के संबंध में पुछने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चतरा द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र लोवागड़ा में सेविका तथा सहायिका एवं मरमदीरी में सेविका की रिक्ति भरने हेतु आम सभा किया गया परन्तु ग्रामीणों द्वारा हंगामा किये जाने के कारण चयन नही किया जा सका। इसी प्रकार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ईटखोरी द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र नीतनगर नकटा की सहायिका चयन हेतु आम–सभा किया गया था। इसमें सभी ग्रामीणों का एवं उपस्थित सदस्यो का मत था कि पूर्व में आम–सभा द्वारा चयनित सहायिका का ही पुनः चयन किया जाय, परन्तु उपस्थित मुखिया द्वारा जिद किया गया कि उच्च योग्यता वाली आवेदिका का चयन सहायिका के पद पर किया जाय। फलतः आम–सभा सफल नही हो सका।

इसपर स्पष्ट किया गया कि सहायिका हेतु योग्यता साक्षर होना है इसमें उच्च शैक्षणिक योग्यता को अधार नही माना जाना चाहिए।

इस संबंध में निदेश दिया गया कि रिक्ति को भरने हेतु आम–सभा का कार्यक्रम एवं रूप रेखा तय कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करे ताकि पुलिस अधीक्षक से बातकर उक्त तिथि को आम–सभा हेतु पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करायी जा सके एवं आम–सभा को सफल बनाया जा सकें।

यह भी बताया गया कि आम–सभा में गुप्त मतदान की प्रकिया अपनाकर भी चयन के कार्य को पूरा किया जा सकता है।

3– **निरीक्षण / पर्यवेक्षण** :–सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को बिगत कई बैठको में निदेश दिया जाता रहा है कि प्रत्येक माह में नियमित रूप से आंगनबाड़ी केन्द्रो का निरीक्षण करना सुनिश्चित करे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चो सहित पर्यवेक्षिका का फोटोग्राफ निश्चित रूप से संलग्न करना सुनिश्चित करे।

निरीक्षण प्रतिवेदन आयुक्त महोदय, उतरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को समर्पित करने के संबंध में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियो द्वारा बताया गया कि उनके स्तर से निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ भेजी जाती है।

4– **मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना** :– इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुमोदित कुल– 838 लाभुको मे से वर्त्तमान समय तक मात्र 769 लाभार्थियों की ही राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र हेतु डाकघर को उपलब्ध कराया जा सका है। अवशेष लाभार्थियो के संबंध में कार्यालय द्वारा बताया गया कि वर्तमान में एन0एस0सी0 हेतु कुल–22 लाभार्थियो का फार्म परियोजनाओ से प्राप्त हुए है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चतरा ग्रामीण, टण्डवा एवं ईटखोरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुमोदित लाभुको में से क्रमशः 15, 07 एवं 05 को अयोग्य बताया गया। अर्थात कुल–27 लाभुक अयोग्य हैं फिर भी 20 लाभुको के फॉर्म उपलब्ध कराया जाना बाकी है।

अयोग्य लाभार्थियो के चयन के प्रश्न पर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि कुछ आदिम जनजाति के लाभुको का चयन किया गया था परन्तु उनका संस्थागत प्रसव नही होने के कारण विभागीय निदेशानुसार उन्हे अयोग्य करार दिया गया। कुछ का तृतीय प्रसव आदि कारण बताया गया।

स्पष्ट है कि इसके लिए संबंधित सेविका एवं महिला पर्यवेक्षिका जिम्मेवार है। जब सेविका उसी टोले की निवासी होती है और उसके द्वारा अपने ही पोषक क्षेत्र की जानकारी नही है तथा गलत सूचना दी गई है तो उसपर जवाबदेही निर्धारित कर कार्रवाई किया जाना चाहिए। साथ ही संबंधित महिला पर्यवेक्षिका भी इसके लिए जिम्मेवार है। वे बिना किसी छानबीन अथवा कागजात के ही आवेदन का सत्यापित करती है।

संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इसकी गहराई से छान–बीन कर संबंधित सेविका एवं महिला पर्यवेक्षिका पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

वित्तीय वर्ष 2011–12 के अवशेष 10 लाभार्थियो के एन0एस0सी0 हेतु फॉम नही भेजने का कारण पुछने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सिमरिया द्वारा बताया गया कि आवेदक अपने गांव से बाहर है जिस कारण नही भेजा जा पा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2012–13

वित्तीय वर्ष 2012–13 की प्रगति की समीक्षा करने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि विभिन्न परियोजनाओ से कुल– 370 आवेदन प्राप्त हुए थे। प्राप्त 370 आवेदनो में से छंटनी करने पर कुल 198 लाभुको की सूची को अनुमोदित किया जा चुका है। शेष आवेदन संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियो को वापस कर दिया गया है। बर्त्तमान में पुनः 211 नये आवेदन प्राप्त हुए है जिनका अनुमोदन किया जाना है।

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियो को निदेश दिया गया कि जिला से वापस किये गए आवेदनो की जांच कर सभी वांछित कागजातों के साथ किसी भी परिस्थिति में 10 दिसम्बर 2012 तक जिला कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। साथ ही आवेदन के साथ एन0एस0सी0 हेतु Form भी संलग्न कर भेजने का निदेश दिया गया। वर्तमान में प्राप्त 211 आवेदनो की छँटनी शीघ्र कर स्वीकृति हेतु संचिका उपस्थापित करने का निदेश कार्यालय को दिया गया।

यह भी मामला प्रकाश में आया कि बहुत से आवेदन के साथ आवासीय प्रमाण–पत्र नही रहने के फलस्वरूप उन्हें अनुमोदित नही किया जा सका। निदेश दिया गया कि संबंधित अंचल अधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, आवासीय प्रमाण–पत्र के साथ उन आवेदनो को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये।

5– **मुख्यमंत्री कन्यादान योजना** :– इस योजना के तहत सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियो को विभाग से प्राप्त लक्ष्य एवं आवंटन को पूर्व में ही सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को उपावंटित किया जा चुका है।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रतापपुर एवं हण्टरगंज को छोड़कर शेष सभी के द्वारा स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त हुए है। प्राप्त आवेदन में विवाह की तिथि/ संभावित तिथि तथा आवेदक पूर्व से विवाहित है अथवा नही से संबंधित कोई प्रमाण–पत्र अंकित नही रहने के कारण स्वीकृति नही प्रदान की जा सकी है तथा सभी आवेदन वापस कर दिए गए है।

निदेश दिया गया कि आवेदन में उपरोक्त प्रमाण–पत्र अंकित कर पुनः स्वीकृति हेतु किसी भी परिस्थिति में 10 दिसम्बर 2012 तक निश्चित रूप से जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह भी स्पष्ट किया गया कि इसी वित्तीय वर्ष में सम्पन्न होने वाले विवाह के ही लाभुकों के आवेदन भेजी जाय।

6– **पोषाहार** :– समीक्षा के क्रम में कार्यालय द्वारा बताया गया कि हण्टरगंज को छोडकर शेष सभी परियोजनाओ के सेविकाओ के खाता में माह सितम्बर 2012 तक का पोषाहार की राशि जमा किया जा चुका है। वर्तमान में माह अक्टूबर का अभिश्रव हण्टरगंज को छोडकर प्राप्त हुए है।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हण्टरगंज द्वारा बताया गया कि मुखिया का प्रमाण–पत्र अप्राप्त रहने के कारण माह सितम्बर एवं अक्टूबर 12 का अभिश्रव जिला कार्यालय को नही भेजा गया है। वर्तमान में सभी सेविकाओ को मुखिया का प्रमाण–पत्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करा दिया गया है। संबंधित

महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती अमोला झा द्वारा मुखिया का प्रमाण–पत्र के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर करने पर काफी नाराजगी व्यक्त की गई। अधोहस्ताक्षरी द्वारा पिछले चार माह के बैठको में इसका निदेश देने तथा प्रपत्र उपलब्ध कराने के बावजूद भी इसपर अनभिज्ञता जाहिर करना उनके कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है।

श्रीमती अमोला झा के विरूद्ध कार्रवाई हेतु आयुक्त महोदय, उतरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचित करने का निदेश दिया गया। साथ ही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हण्टरगंज को निदेशित किया गया कि सितम्बर एवं अक्टूबर 2012 के अभिश्रव बिना मुखिया के प्रमाण पत्र के ही दो दिनो के अन्दर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियो को निदेश दिया गया कि माह नवम्बर 2012 के अभिश्रव 10 दिसम्बर तक निश्चित रूप से जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

टी0एच0आर0 वितरण के दिन समाजिक अंकेक्षण कराने एवं इसकी विडियोग्राफी कराने का भी निदेश सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को दिया गया।

7– कुपोषण :– समीक्षा के क्रम में माह नवम्बर 2012 का M.T.C में कुपोषित बच्चो की उपस्थिति से संबंधित प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि इस माह चतरा सदर अस्पताल स्थित कुपोषण उपचार केन्द्र में मात्र 09 बच्चो का उपचार हुआ एवं हण्टरगंज में इसकी संख्या शून्य पायी गई। स्पष्टतः Occupancy 50% से भी काफी कम है। Occupancy कम से कम 90% अवश्य होनी चाहिए। महीने में कम से कम 25 कुपोषित बच्चों का नामांकन आवश्यक है।

पुनः निदेशित किया गया कि M.T.C में माह में कम–से–कम 02 कुपोषित बच्चों का नमांकन प्रत्येक महिला पर्यवेक्षिका द्वारा निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जाय।

महिला पर्यवेक्षिका, हण्टरगंज द्वारा बताया गया कि कुपोषित बच्चो को लेकर M.T.C हण्टरगंज गई थी परन्तु वहॉ कार्यरत A.N.M द्वारा यह बोलकर वापस कर दिया गया कि यहॉ मिक्सी खराब है ।इस संबंध में A.N.M का लिखित प्रतिवेदन भी अधोहस्ताक्षरी को दिखाया गया।

यूनिसेफ के जिला समन्वयक द्वारा बताया गया कि M.T.C में दूरभाष की सुविधा नही रहने के कारण भी काफी परेशानी होती है।

दोनो M.T.C में दूरभाष की व्यवस्था एवं M.T.C हण्टरगंज का खराब मिक्सी ठीक कराने का निदेश बैठक से ही दूरभाष पर असैनिक शल्य चिकित्सक सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, चतरा को दिया गया।

8– स्वामी विवेकानन्द निःशक्त प्रोत्साहन योजना :– समीक्षा के क्रम में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि माह सितम्बर 2012 तक का भुगतान सभी लाभुको को किया जा चुका है। प्रत्येक तीन–तीन माह पर राशि की निकासी कोषागार से करते हुए संबंधित लाभुको के खाता में जमा कराया जाता है।

निदेश दिया गया कि प्रत्येक दो–दो माह पर राशि की निकासी कर संबंधित लाभुको के खाता में जमा कराना सुनिश्चित करें।

9— **विकलांगो का कार्यशाला** :— विकलांगो का कार्यशाला कराने हेतु आवंटन विभाग से प्राप्त है। बैठक में कार्यशाला का रूपरेखा पर विमर्श किया गया । कार्यशाला सम्पन्न कराने की जिम्मेवारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चतरा ग्रामीण एवं सिमरिया को संयुक्त रूप से दिया गया।

कार्यक्रम की तिथि एवं स्थल निम्न प्रकार निर्धारित किया गया :—

क्र0	तिथि	स्थल	संबंधित प्रखण्ड
1	14.12.2012	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, जोरी	हण्टरगंज, प्रतापपुर एवं कुन्दा
2	19.12.2012	प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सिमरिया	टण्डवा, सिमरिया, लावालौंग एवं पत्थलगड्डा
3	21.12.2012	सदर अस्पताल चतरा	चतरा, कान्हाचट्टी, ईटखोरी, मयुरहण्ड एवं गिद्धौर।

10— **आंगनबाड़ी कार्यकत्री बीमा योजना** :— इस योजनान्तर्गत आच्छादित सभी आंगनबाड़ी सेविका/सहायिकाओ का डाटा बेस प्रतापपुर परियोजना को छोडकर अन्य सभी परियोजनाओ से प्राप्त है।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रतापपुर द्वारा बताया गया कि 75 प्रतिशत डाटा बेस तैयार है। निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में 10 दिसम्बर 2012 तक इसका हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे ताकि समेकित रूप से विभाग को भेजा जा सकें।

11— **अन्यान्य** :— समीक्षा के कम में यह भी स्पष्ट हुआ कि मुख्खिा का गोष्ठी सिर्फ ईटखोरी एवं सिमरिया परियोजना में हुआ है। निदेश दिया गया कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मुखिया का गोष्ठी कराना सुनिश्चित करें।

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि अपने—अपने परियोजना से 20—20 मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्रो की सूची एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि अपने—अपने परियोजनान्तर्गत निर्मित आंगनबाड़ी केन्द्रों के Handover प्रतिवेदन भी एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

उपायुक्त,
चतरा।

ज्ञापांक 666 /स0क0 दिनांक 11.12.2012

प्रतिलिपि :— आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :— निदेशक, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:— सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,/महिला पर्यवेक्षिका को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं जिला के Website पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
चतरा।